



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938

No. 18]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

सं. 20012/1/2017-बी.सी.-II.—जबकि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 की संकल्प संख्या 12011/9/1994-बी.सी.सी., द्वारा भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग -I खंड -1 जी. एन. संख्या 163 गुरुवार 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित ओडिशा राज्य की सामान्य सूची की क्रमांक 66 पर खैरा जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था।

जबकि "खैरा" समुदाय अब ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है, इसलिए उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

"क्रम संख्या 66 और कथित प्रविष्टि "खैरा" जाति को ओडिशा राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची से हटा दिया गया है।"

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****RESOLUTION**

New Delhi, the 18th January, 2017

No. 20012/1/2017-BC-II.—Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No.12011/9/1994-BCC dated 19.10.1994 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-I, G.N.No.163, Thursday, October 20, 1994 in the State : Orissa : Common List : Khaira caste was included against S.No.66 of the Central List of OBCs for Orissa.

Whereas the said community “Khaira” of Odisha has now been included in the list of Scheduled Tribe of Odisha therefore, the following amendment is made in the said Resolution namely:

S.No.66 and entry namely “Khaira” caste stands deleted from the Central List of OBCs for the State of Odisha.

B. L. MEENA, Jt.Secy.